

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

### कार्यालय आदेश

श्री औमप्रकाश पुरोहित शै0प्र0अ0 (मूल पद व्याख्याता इतिहास), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हनुमानगढ़ जन्म तिथि- 05.07.1957 का निधन दिनांक- 12.08.2016 को हो चुका है। अतः श्री औमप्रकाश पुरोहित की सेवायें दिनांक- 12.08.2016 से समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएएस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/11  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 21/9/2016

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर
- (2) सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) हनुमानगढ़ को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा फवती भिजवावें।
- (5) अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/कम्प्यूटर
- (6) निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## कार्यालय आदेश

श्री रामूलाल मीना व्याख्याता इतिहास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्झरना, लालसोट-दौसा जन्म तिथि- 24.09.1963 का निधन दिनांक- 04.08.2016 को हो चुका है। अतः श्री रामूलाल मीना की सेवायें दिनांक- 04.08.2016 से समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/11  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 21/9/2016

- (1) निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर
- (2) सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, दौसा
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा
- (4) संस्था प्रधान राउमावि निर्झरना, लालसोट-दौसा को अतिरिक्त प्रती के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- (5) अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/कम्प्यूटर
- (6) निजी/रक्षित पत्रावली।

(7)



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर